

भाग-

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड।
- II) जिला उत्तरकाशी।
- III) वन प्रभाग वन प्रभाग उत्तरकाशी।
- IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 1.75 हेक्टेयर वन भूमि
- V) वन की कानूनी स्थिति 0.35 हेक्टेयर डम्पिंग हेतु आरक्षित वन भूमि
- VI) हरियाली का घनत्व 0.3
- VII) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0 एल0- 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए। संलग्न है
- VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। भू- क्षरण की सम्भावना नहीं है।
- IX) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी वन क्षेत्र के अन्दर है।
- X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का वयौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पाणिया। अनुबन्धित की जाए) नहीं
- XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। नहीं
- XII) या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो, या नहीं
- 8 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम -2 में प्रस्तावित वनभूमि आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। 1.75 हे0 आरक्षित वन भूमि व 0.245 हे0 नाप भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य/न्यूनतम है।
- 9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का नहीं